प्रेस नोट **26 / 03 / 2025**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व ₹9,000-9,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 26-03-2025 को मु0अ0सं0 235/2008 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नागेंद्र सिंह पुत्र ज़मेदार सिंह, अखिलेश सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र रामबदन सिंह, उपेंद्र सिंह पुत्र सूबेदार सिंह समस्त निवासीगण दपेहड़ी थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा एवं ₹9,000-9,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनुराग तिवारी थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।

02 वारण्टी अभियुक्त तथा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 26.03.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 122//25 धारा 137(2), 87 वीएनएस में वांछित अभियुक्त युसुफ पठान पुत्र शौकत अली निवासी भीरा थाना घोसी जनपद मऊ को तथा थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सन्तोष राय पुत्र कालिका राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज तथा थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सन्दीप पुत्र सुरेन्द्र पासवान निवासी पड़री थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।